

अनुदान संख्या 39 - पेंशन
GRANT No. 39-PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	67,59,00	67,35,11	-23,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	10899,08,00	17812,41,00	17782,80,37
पूरक	Supplementary	6913,33,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के सारांशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम-सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम, निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के संवितरण और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए था।

2. अनुदान के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme-Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and medical treatment of CGHS Pensioners.

2. In the *charged* portion of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन तथा अन्य	Pensions and other			
सेवानिवृत्ति हितलाभ	Retirement Benefits	6751.00	6726.17	-24.83
(I) 3.00 लाख रु. का विनियोग दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।				(I) Appropriation of Rs.3.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.
(II) "सिविल" के अंतर्गत -				(II) Under "Civil" -
(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - 217.28 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;				(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of Rs.217.28 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1350.00 lakhs);
(खा) "पेंशन का सारांशिकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - 242.19 लाख रु. की बचत (1185.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई;				(B) "Commutated Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of Rs.242.19 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1185.00 lakhs);
(गा) "उपदान - सामान्य पेंशन" - 402.18 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और				(C) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of Rs.402.18 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.1500.00 lakhs); and
(घा) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - 195.05 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।				(D) "Family Pensions - Family Pensions" - saving of Rs.195.05 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.700.00 lakhs).
उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।				Savings under the above four heads were due to receipt of less claims.
(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 55.41 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 24 प्रतिशत थी।				(III) Under one head saving of Rs.55.41 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned appropriation.

3. उपर्युक्त बचतें "सिविल - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार - राज्य सरकारों से वसूली जाने योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1034.76 लाख रु. का अधिक व्यय (950.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) ज्यादा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

3. The above savings were partly offset by excess under "Civil – Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Governments" – excess of Rs.1034.76 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.950.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष Head				
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits			
मू.	O.	1086451.00	1776955.00	1774228.61
पू.	S.	691308.00		
पु.	R.	-804.00		
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	3457.00	4286.00	4051.76
पू.	S.	25.00		
पु.	R.	804.00		

(I) 313.39 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 258.31 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - उपदान - नई परिभाषित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता के लिए अतिरिक्त निधि - सामान्य पेंशन" के अंतर्गत दावे प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.313.39 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.258.31 lakhs alone accounted for under Major Head "2071" – "Civil - Gratuities – Additional Relief on death/disability of Government Servants Covered by the New Defined Contribution Pension System (NPS) Ordinary Pensions" – due to non-receipt of claims.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार अप्रयुक्त रहा:-

(का) "पेंशन का सारांशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन" - 119050.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 103975.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 223025.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 16008.62 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(खा) "उपदान - सामान्य पेंशन" - 136829.28 लाख रु. के मूल प्रावधान को 97600.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 234429.28 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 15974.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(गा) "परिवार पेंशन - परिवार पेंशन" - 109551.70 लाख रु. के मूल प्रावधान को 102433.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 211984.70 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 6331.40 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(घा) "छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन" - 79600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 103600.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 1345.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(ड) "केन्द्रीय सरकार के अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में अनुग्रहपूर्वक अदायगियां - सामान्य पेंशन" - 200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 400.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 50.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(II) Supplementary grant obtained in December, 2009 and March, 2010 under Major Head "2071" - "Civil" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Commutated Value of Pensions - Ordinary Pensions" - the original provision of Rs.119050.00 lakhs was augmented to Rs.223025.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.103975.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.16008.62 lakhs;

(B) "Gratuities - Ordinary Pensions" - the original provision of Rs.136829.28 lakhs was augmented to Rs.234429.28 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.97600.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.15974.71 lakhs;

(C) "Family Pensions - Family Pensions" - the original provision of Rs.109551.70 lakhs was augmented to Rs.211984.70 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.102433.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.6331.40 lakhs;

(D) "Leave Encashment - Ordinary Pensions" - the original provision of Rs.79600.00 lakhs was augmented to Rs.103600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1345.67 lakhs;

(E) "Ex-gratia Payments arising out of Special Voluntary Retirement Scheme to Central Government Employees declared as Surplus - Ordinary Pensions" - the original provision of Rs.200.00 lakhs was augmented to Rs.400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.50.34 lakhs;

(III) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - 3638.65 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "परिवार पेंशन" -

(क) "नई परिभाषित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता के लिए अतिरिक्त राहत - सामान्य पेंशन" - 359.81 लाख रु. की बचत (426.77 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "नई परिभाषित अंशदायी पेंशन पद्धति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु/अशक्तता के लिए अतिरिक्त राहत - असाधारण पेंशन" - 317.43 लाख रु. की बचत (321.53 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल"-

(क) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" - 39458.96 लाख रु. का अधिक व्यय (337400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 909408.33 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "पेंशन का सारांशिकृत मूल्य - सामान्य पेंशन"- 116.35 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "उपदान - सामान्य पेंशन" - 106.37 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(III) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions (AIS)" - saving of Rs.3638.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs);

(B) "Family Pensions" -

(a) "Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension System (NPS) - Ordinary Pensions" - saving of Rs.359.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.426.77 lakhs); and

(b) "Additional Relief on death/disability of Government Servants covered by the New Defined Contribution Pension System (NPS) - Extra Ordinary Pensions" - saving of Rs.317.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.321.53 lakhs).

Savings under the above eight heads were due to receipt of less claims.

5.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" - "Civil" -

(a) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - excess of Rs.39458.96 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.909408.33 lakhs including supplementary grant of Rs.337400.00 lakhs);

(b) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions (AIS)" - excess of Rs.116.35 lakhs (against nil provision);

(c) "Gratuities - Ordinary Pensions (AIS)" - excess of Rs.106.37 lakhs (against nil provision);

(घ) “विधायकों को पेंशन - संसद सदस्य” - 1134.47 लाख रु. का अधिक व्यय (2780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(d) “Pensions to Legislators – Members of Parliament” – excess of Rs.1134.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2780.00 lakhs); and

(खा) मुख्य शीर्ष “2235” - “अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधि - निक्षेप सहबद्ध बीमा - संशोधित सामान्य भविष्य निधि की स्कीम” - 585.74 लाख रु. का अधिक व्यय (3298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) Major Head “2235” – “Other Social Security and Welfare Programmes - Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds –Deposit Linked Insurance - Revised Scheme of General Provident Funds” – excess of Rs.585.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3298.00 lakhs).

अधिक व्यय उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

Excess under the above five heads was due to receipt of more claims.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 70.64 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जिसमें पूरे व्यय को निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया था।

(II) Under one head excess of Rs.70.64 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.